रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935
No. 595] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA 20, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि.771(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"**95. जेनरेटर सेट (जेनसेट) के लिए 800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजन के लिए लागू उत्सर्जन सीमा.**- जेनरेटर सेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् जेनसेट कहा गया है) के लिए 800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजन के लिए लागू उत्सर्जन सीमा 1 अप्रैल, 2014 से उसमें अंतर्विष्ट साधारण शर्तों के अध्यधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होंगी, अर्थात् :--

सारणी

शक्ति प्रवर्ग	उत्सर्जन सीमा (ग्रा/कि.वा प्रतिघंटा)			धुआं सीमा (प्रकाश अवशोषण सह दक्षता, मी.$^{-1}$)
	NO_X+ HC	CO	PM	
19 कि.वा. तक	$\leq$ 7.5	$\leq$ 3.5	$\leq$ 0.3	$\leq$ 0.7
19 कि.वा. से अधिक 75 कि.वा. तक	$\leq$ 4.7	$\leq$ 3.5	$\leq$ 0.3	$\leq$ 0.7
75 कि.वा. से अधिक 800 कि.वा. तक	$\leq$ 4.0	$\leq$ 3.5	$\leq$ 0.2	$\leq$ 0.7

टिप्पण :

1. सारणी में प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का निम्नलिखित अभिप्राय होगा : NO_X- नाइट्रोजन के आक्साइड्स ; HC- हाइड्रोकार्बन ; CO -कार्बन मोनोक्साइड ; और PM- विविक्त पदार्थ ।
2. परीक्षण चक्र के प्रचालित भार बिंदुओं के दौरान धुंआ उपरोक्त मूल्य से अधिक नहीं होगी ।
3. ISO : 8178-भाग 4 के डी 2-5 प्रकार चक्र के अनुसार परीक्षण किया जाएगा ।
4. ऊपर उल्लिखित संनियम प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा किए गए किस्म अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) को लागू होंगे ।
5. भारत में विनिर्मित या आयातित जेनसेट उपयोजनों के लिए डीजल इंजन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'इंजन' कहा गया है) के प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता या संयोजनकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्माता कहा गया है) या भारत में संयोजित या आयातित डीजल जेनसट (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है) उत्सर्जन सीमाओं के लिए किस्म अनुमोदन अभिप्राप्त करेंगे और अपने उत्पादों के सीओपी के अनुसार होंगे और वे अगले सीओपी वर्ष या ऊपर विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित संनियमों के कार्यान्वयन की तारीख, जो भी पहले हो, के लिए वैध होंगे ।

   स्पष्टीकरण -'सीओपी वर्ष' पद का अभिप्राय 1 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि से है ।
6. जेनसेट के लिए चिमनी की ऊंचाई (मीटर में) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शासित होगी ।

साधारण शर्तें

1. **लागू होना**- ये शर्तें भारत में यथास्थिति, विनिर्मित, संयोजित या आयातित जेनसेट उपयोजनों और उत्पादों के लिए सभी नए इंजनों को लागू होंगी :

   परंतु ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :-

   (क) किसी भी ऐसे इंजन या उत्पाद को जिसका यथास्थिति, संयोजन, विनिर्माण या आयात भारत के बाहर निर्यात करने के प्रयोजन के लिए किया गया है ।

   (ख) किसी भी ऐसे इंजन या उत्पाद को जो चार तक सीमित नमूने के प्रयोजन के लिए आशयित है और जिसे तीन मास के भीतर वापिस निर्यात किया जाना है और जो भारत में विक्रय के लिए नहीं है ।

2. **प्रमाणन की अपेक्षाएं** - यथास्थिति, इंजन या उत्पाद के प्रत्येक विनिर्माता के पास ऊपर यथा विनिर्दिष्ट उत्सर्जन सीमाओं की प्रभावी तारीख के पश्चात् विनिर्मित सभी इंजन माडलों या आयात किए गए सभी इंजनों या उत्पाद माडलों के लिए प्रत्येक सीओपी वर्ष के लिए विधिमान्य किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र और उत्पादन की अनुरूपता प्रमाण (सीओपी) पत्र होंगे और 1 अप्रेल, 2014 को या उसके पश्चात् विक्रीत जेनसेट के लिए सीओपी 1 अप्रेल, 2015 से प्रभावी पुनरीक्षित उत्सर्जन सन्नियमों के अनुसार प्रभावी और प्रवृत्त होंगे ।

3. **उस इंजन या उत्पाद का विक्रय, आयात या उपयोग जो इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं** - कोई भी व्यक्ति जेनसेट उपयोजन के लिए ऐसे किसी इंजन का या उत्पाद का विक्रय, आयात या उपयोग नहीं करेगा जिसके पास शर्त 2 में निर्दिष्ट विधिमान्य किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र और सीओपी प्रमाणपत्र नहीं है ।

4. **अनुरूपता लेबल की अपेक्षा** - (1) सभी इंजनों पर पृथकतः या उत्पाद के भाग रूप में सिलेण्डर ब्लाक पर स्पष्ट रूप से 'जेनसेट इंजन' उत्कीर्त होगा ।

(2) इंजन या उत्पाद पर निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अनुरूपतः लेबल लगा होगा, अर्थात् :-

(क) लेबल टिकाऊ और पठनीय होगा ;

(ख) लेबल इंजन या उत्पाद के सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक भाग पर लगाया जाएगा और उसे सामान्यतः इंजन या उत्पाद के जीवन काल में बदलने की अपेक्षा नहीं होगी ;

(3) समरूपता लेबल पर निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :-

(क) यथास्थिति, इंजन या उत्पाद के, विनिर्माता का नाम और पता ;

(ख) यह विवरण कि इंजन या उत्पाद पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुरूप है ;

(ग) किस्म अनुमोदन और प्रमाण पत्र संख्या ;

(घ) इंजन और उत्पाद के विनिर्माण की तारीख या आयात की दशा में इंजन और उत्पाद के आयात की तारीख ; और

(ङ) निर्धारित गति और किलोवाट में तत्स्थानी कुल शक्ति ।

5. **नोडल अभिकरण**- (1) इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोडल अभिकरण होगा ।

(2) इन नियमों के किसी विवाद या कठिनाई की दशा में, मामला नोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) नोडल अभिकरण इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में जिसके अंतर्गत विवादित मामले भी हैं, सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करेगा ।

6. **प्रमाणन के लिए प्राधिकृत अभिकरण**- निम्नलिखित संस्थाएं डीजल इंजनों या उत्पादों के लिए किस्म अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता परीक्षणों के प्रमाण पत्र देने के लिए ऐसे परीक्षण करने के लिए, जो वे उचित समझें और ऐसे प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत हैं, अर्थात् :-

(क) द आटोमोटिव रिसर्च आफ एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे (महाराष्ट्र) ;

(ख) द इंटरनेशनल सेंटर फार आटोमोटिव टेक्नोलोजी, मानेसर (हरियाणा) ;

(ग) द इंडियन आयल कार्पोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, फरीदाबाद (हरियाणा) ;

(घ) द इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून (उत्तराखंड) ; और

(ङ) द व्हीकल रिसर्च डेवलेपमेंट एस्टेबलिशमेंट, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

7. **अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया**- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा प्रकाशित अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

(2) प्रमाणन के लिए प्राधिकृत अभिकरण उत्सर्जन की बाबत परीक्षण और प्रमाणन ब्यौरे वार्षिक रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा ।

8. **ईंधन विर्निदेश**-डीजल जेनसेटों को लागू वाणिज्यिक ईंधन के विनिर्देश वही होंगे जो, भारत सरकार की नीति के अनुसार समय समय पर उस क्षेत्र में जहां उत्पाद प्रचालित किया जाए, डीजल यानों के लिए लागू वाणिज्यिक उच्च गति डीजल को लागू हैं ।

9. **इंजन घटक या भाग पहचान**- उत्सर्जन क्रिया के लिए उत्तरदायी इंजन घटकों या भागों के सभी ब्यौरे अंग्रेजी भाषा में स्पष्टतः चिन्हित किए जाएंगे ।''।

[फा. सं. क्यू-15017/08/2012-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010, सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई 2010, सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010, सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तुबर, 2010, सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011, सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011, सा.का.नि. 354(अ),तारीख 2 मई, 2011, सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011, सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011, सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012, सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012, सा.का.नि. 277(अ),तारीख 31 मार्च, 2012, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012, सा.का.नि. 820(अ),तारीख 18 मार्च, 2013, और सा.का.नि.535 (अ),तारीख 7 अगस्त, 2013 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2013

G.S.R. 771(E). – In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Third Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, for serial number 95 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"95. Emission limits for new diesel engine up to 800 kW for generator set (Genset) application.- The emission limits for new diesel engine upto 800 kW for generator set (hereinafter referred to as Genset) application shall be effective from 1st April, 2014 as specified in the Table below subject to the general conditions contained therein, namely:-

TABLE

Power Category	Emission Limits (g/kW-hr)			Smoke Limit (light absorption coefficient, m^{-1})
	NOx +HC	CO	PM	
Upto 19 KW	≤ 7.5	≤ 3.5	≤ 0.3	≤ 0.7
More than 19 KW upto 75 KW	≤ 4.7	≤ 3.5	≤ 0.3	≤ 0.7
More than 75 KW upto 800 KW	≤ 4.0	≤ 3.5	≤ 0.2	≤ 0.7

Note:

1. The abbreviations used in the Table shall mean as under: NO_x – Oxides of Nitrogen; HC – Hydrocarbon; CO – Carbon Monoxide; and PM – Particulate Matter.
2. Smoke shall not exceed above value throughout the operating load points of the test cycle.
3. The testing shall be done as per D2 – 5 mode cycle of ISO: 8178- Part 4.
4. The above mentioned emission limits shall be applicable for Type Approval and Conformity of Production (COP) carried out by authorised agencies.
5. Every manufacturer, importer or, assembler (hereinafter referred to as manufacturer) of the diesel engine (hereinafter referred to as 'engine') for genset application manufactured or imported into India or, diesel genset (hereinafter referred to as 'product'), assembled or imported into India shall obtain Type Approval and comply with COP of their product(s) for the emission limits which shall be valid for the next COP year or, the date of implementation of the revised norms specified above, whichever earlier.

   Explanation.- The term 'COP year' means the period from 1st April to 31st March.
6. Stack height (in metres), for genset shall be governed as per Central Pollution Control Board (CPCB) guidelines.

General Conditions

1. Applicability.- These conditions shall apply to all new engines for genset application and products manufactured, assembled or, imported into India, as the case may be :

Provided that these rules, shall not apply to, -

(a) any engine or, product, assembled or manufactured or imported, as the case may be, for the purpose of export outside India, or;

(b) any engine or product intended for the purpose of sample limited to four in number and to be exported back within three months, and not for sale in India.

2. Requirement of certification.- Every manufacturer of engine or product, as the case may be, shall have valid certificate(s) of Type Approval and COP for each COP year, for all engine models being manufactured or, for all engine or product models being imported, after the effective date for the emission limits, as specified above and the COP for the genset sold on or after 1st April, 2014 shall be effective and in force as per revised emission norms with effect from 1st April, 2015.

3. Sale, import or use of engine or product not complying with these rules.- No person shall sell, import or use an engine for genset application or, a product which is not having a valid Type Approval certificate and certificate of COP referred to in condition 2.

4. Requirement of conformance labeling.- (1) All the engines, individually or as part of the product shall be clearly engraved 'Genset Engine' on the cylinder block.

(2) the engine or the product shall be affixed with a conformance label meeting the following requirements, namely:-

(a) the label shall be durable and legible;

(b) the label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the engine or the product and not normally requiring replacement during the life of the engine or the product.

(3) The conformance label shall contain the following information, namely:-

(a) name and address of the manufacturer of engine or product, as the case may be;

(b) statement that the engine or product conforms to the Environment (Protection) Rules, 1986;

(c) Type Approval certificate number;

(d) date of manufacture of engine and the product or in case of import, the date of import of the engine and the product; and

(e) rated speed and corresponding gross power in kW.

5. Nodal Agency.- (1) The Central Pollution Control Board shall be the nodal agency for implementation of these rules.

(2) In case of any dispute or difficulty in implementation of these rules, the matter shall be referred to the nodal agency.

(3) The nodal agency shall constitute a Committee to advise it on all matters, including the disputed matters, related to the implementation of these rules.

6. Authorised agencies for certification.- The following institutions are authorised to carry out such tests as they may deem necessary, for giving certificates of Type Approval and Conformity of Production tests for diesel engines or products and to give such certificates, namely:-

(i) the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra);

(ii) the International Centre for Automotive Technology, Manesar (Haryana);

(iii) the Indian Oil Corporation, Research and Development Centre, Faridabad (Haryana);

(iv) the Indian Institute of Petroleum, Dehradun (Uttarakhand); and

(v) the Vehicle Research Development Establishment, Ahmednagar (Maharashtra).

7. Compliance and testing procedure.- (1) The Compliance and Testing Procedure, as published by the Central Pollution Control Board shall be followed by all concerned.

(2) The authorised agencies for certification shall submit the testing and certification details in respect of the emission to the Central Pollution Control Board annually.

8. Fuel Specification.- The specification of commercial fuel applicable for diesel gensets shall be the same as applicable for commercial High Speed Diesel applicable for diesel vehicles in the area where product would be operated, from time to time, as per policy of Government of India.

9. Engine component or parts identification.- All the details of engine components or parts responsible for the emission performance shall be clearly marked in English language.".

[F.No. Q-15017/08/2012-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61 (E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E) ,dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; and G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.